

an>

Title: Election of three members from Lok Sabha to the Committee on Public Accounts.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं पूरताव करता हूँ:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रकृया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 द्वारा अपेक्षित शैति से, नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत, लोक लेखा समिति की अवधि के शेष भाग के लिए डा. एम. तंबिदुरै, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दे दिया है, और मंत्रियों के रूप में नियुक्त सर्वश्री राजीव प्रताप रूडी तथा जयंत सिन्हा के स्थान पर समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीन सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect, under sub-rule (3) of rule 254, in the manner required by rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, three members from amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts of the house for the unexpired portion of the term of the Committee *vice* Dr. M. Thambidurai resigned from the Committee and S/Shri Rajiv Pratap Rudy and Jayant Sinha appointed Ministers."

The motion was adopted.